BEFORE THE NATIONAL GREEN

TRIBUNALPRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATIONNO. 607 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "In Lucknow's waste - side story plastic peril paints grim picture" appearing in The Hindustan Times dated 22.04.2024

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Additional Reply Affidavit Of District Magistrate Lucknow, in compliance Of Order Dated 06.08.2025 passed By This Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. RA 1 (Collectively): -** Copies of the letters dated 29.01.2026 and 31.01.2026	
3.	**Annexure No RA 2: -** A copy of the Letter dated 02.02.2026 furnished by the Municipal Corporation, Lucknow	
4.	**Annexure No. RA 3: -** A copy of the Demand Notice dated 02.02.2026	

5.	**Annexure No. RA 4: -** A copy of the Letter dated 15.04.2025	
6.	**Annexure No. RA 5: -** A copy of the Letter dated 26.04.2025	
7.	**Annexure No. RA 6: -** Annexure R-6(Colly) A copy of letter dated 05.01.2026	
8-	1. **Annexure R-A 7.** A copy of letter dated 02.04.2025.	

Dated - 04.02.2026

Ankit Verma **THROUGH**

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF,NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 607OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "In Lucknow's waste - side story plastic peril paints grim picture" appearing in The Hindustan Times dated 22.04.2024

ADDITIONAL REPLYAFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 06.08.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 4 Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Vishak Gaged about 37 years, presently posted as District Magistrate – Lucknow, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

2. That I am the above-mentioned answeringRespondent No.4and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

3. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

NOTARY VIJAY KUMAR DWIVEDI, Adv. Regn. No. 22366 Lucknow U.P. India GOVT. OF (INDIA)

4. That the contents of the present additional reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom

5. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 06.08.2025 was pleased to issue the following directions:-

"………. 2. Learned Counsel appearing for respondent no.4 submits that reply has been filed yesterday after the working hours of the Tribunal, therefore, it has not come on record. Learned Counsel for respondent no.4 has also submitted that notice for recovery of Environmental Compensation (EC) as against project proponent-Eco Green could not be executed because it has shifted to Gurugram. So

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
D. 04-2-2026
Sign VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

far as, recovery of EC against Municipal Corporation, Lucknow is concerned, no justifiable reason for not recovering the amount has been put forth. Therefore, Respondent no.4 is directed to file a fresh affidavit indicating the steps taken for recovery of EC from Municipal Corporation, Lucknow atleast one week before the next date of hearing.

3. List on 06.11.2025."

6. That, the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, vide Reference No. 1-137234/C-5/MSW-1/2026 dated 29.01.2026, sent a fresh communication regarding the recovery of environmental compensation amounting to ₹14,40,70,000/-, as imposed vide its earlier letter dated 30.07.2024, directing that the said amount be recovered as arrears of land revenue from the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Lucknow. Pursuant thereto, the office of the deponent, vide Letter No. 203 dated 31.01.2026,Financial Year 2025–26, forwarded the matter to the Tehsildar, Sadar, Lucknow, with directions to effect recovery as arrears of land revenue within a stipulated period of 15

NOTARY GOVT. OF INDIA
BEFORE ME
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regd. 22368 Govt. of India
4-2-2026

days. Copies of the letters dated 29.01.2026 and 31.01.2026 are being collectively annexed as **Annexure No. RA-1** to this affidavit.

7. That the amended Recovery Certificate-cum-Notice/Demand (*R.C. Form-36*) dated 31.01.2026 was duly served upon the office of the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Lucknow on 02.02.2026, thereby subjecting the defaulting authority to continuous coercive pressure for effecting recovery.

8. That the Municipal Corporation, Lucknow, vide Letter No. D/926/Pa.Aa./25 on the same date i.e. 02.02.2026, sent a letter to the Tehsildar, Sadar, Lucknow stating that even earlier, vide Letter No. D/35/Pa.Aa./25 dated 15.04.2025, it had categorically clarified the entire factual position and had specifically requested that the Municipal Corporation be exempted from recovery of the said environmental compensation as arrears of land revenue, and that the recovery, if any, be made directly from M/s Eco Green Energy Lucknow Pvt. Ltd. A copy of the Letter dated 02.02.2026 furnished by the Municipal Corporation,

BEFORE ME
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
9-2-2026

Lucknow is being annexed as **Annexure No. RA 2** to this affidavit.

9. That further the Municipal Corporation also stated that in due compliance of the order dated 31.03.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Review Petition No. 15/2023, as well as the order dated 23.03.2023 passed in O.A. No. 606/2018 (*Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and other environmental issues*), a "Ring-Fenced Account" has been duly opened under the directions of the deponent for undertaking environmental improvement works, including Solid Waste Management and Liquid Waste Management, wherein an amount of ₹63.95 Crores has been deposited. The said amount also includes the environmental compensation so imposed.

10. That the Municipal Corporation, Lucknow has further informed that a Special Leave Petition, bearing Diary No. 72597/2025, against the order dated 21-08-2025 passed by the Hon'ble High Court Allahabad-Lucknow Bench in Writ C -7723/2025 has been filed before the Hon'ble Supreme Court of India seeking exemption of the Municipal Corporation, Lucknow from the

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Sign. ... Dt. 4-2-2026
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22368 Govt. of India

environmental compensation imposed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

11. That pursuant to the amended Recovery Certificate dated 31.01.2026, received in the office of the deponent, and in purported compliance of the aforesaid communication of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, recovery proceedings in respect of the environmental compensation amounting to ₹14,40,70,000/-, imposed upon the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Lucknow, were initiated and the *R.C. Form-36* demand notice was served on 02.02.2026. A copy of the Demand Notice dated 02.2.2026 is being annexed as **Annexure No. RA 3** to this affidavit.

12. That in response thereto, the Environmental Engineer, Municipal Corporation, Lucknow, vide Letter No. D/35/Pa.Aa./25 dated 15.04.2025, informed that during the inspection of the Shivri Plant conducted by the Hon'ble National Green Tribunal, certain deficiencies and operational lapses were noticed, on account whereof the Municipal Corporation terminated the contract of the concerned agency and proceeded to blacklist the same.It was further conveyed that vide

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Sign. ... Dt. 04.2.2026
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22368 Govt. of India

Letter No. D/45/N.A./Pa.Abh./20 dated 06.08.2020, the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Lucknow, had requested the Uttar Pradesh Pollution Control Board that since the entire Solid Waste Management operations of Lucknow city during the relevant inspection period were being undertaken by M/s Eco Green Energy Pvt. Ltd., the environmental compensation so imposed ought to be recovered directly from the said agency. In furtherance thereof, the Uttar Pradesh Pollution Control Board, vide Letter No. H-55133/C-5/MSW-1/2020 dated 20.11.2020, directed that the environmental compensation of ₹14,40,70,000/- be recovered from M/s Eco Green Energy Lucknow Pvt. Ltd. A copy of the Letter dated 15.04.2025 is being annexed as **Annexure No. RA 4** to this affidavit.

13. That in light of the aforesaid facts and circumstances, and as reiterated in Letter No. D/566/Pa.Aa./2025 dated 04.11.2025, the entire environmental compensation imposed upon the Municipal Corporation is attributable to lapses solely on the part of M/s Eco Green Energy Lucknow Pvt. Ltd., for which arbitration proceedings are being initiated by

BEFORE ME
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
4-2-2026

the Municipal Corporation for recovery of the said amount. Further, vide Letter No. D/35/Pa.Aa./Pa.Abh./25 dated 15.04.2025, the Environmental Engineer, Municipal Corporation, Lucknow once again requested that recovery of the imposed environmental compensation be effected directly from M/s Eco Green Energy Lucknow Pvt. Ltd., and that the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Lucknow be exempted from recovery as arrears of land revenue.

14. That thereafter, the Office of the Tehsildar, Sadar, Lucknow, vide Letter No. 19/Revenue Dues-Recovery/2025 dated 26.04.2025, forwarded its report along with the original Recovery Certificate to the Office of the Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Lucknow, with a request to transmit the same to the concerned department for necessary and appropriate action in accordance with law. A copy of the Letter dated 26.04.2025 is being annexed as **Annexure No. RA 5** to this affidavit.

15. That it is respectfully submitted that the deponent herein on the basis of the reminder report submitted by Tehsildar Sadar Lucknow dated 05.01.2026 had

NOTARY VIJAY KUMAR DWIVEDI ADV. GOVT. OF (INDIA)

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regd. 22368 Govt. of India

again sent a reminder letter to the Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board requesting him to send the updated status of the Recovery Certificates which are to be recovered from the defaulter agencies.A copy of letter dated 05.01.2026 is annexed herewith as **Annexure No. RA 6**(Colly)

16. The letter dated 29-01-2026 in which recovery of environmental compensation amounting to Rs. 14,40,70,000.00, 25,32,71,000.00 and 17,20,71,000.00 as imposed recovered as arrears of land revenue from the municipal commissioner, municipal corporation, Lucknow, it has been further informed by the Environment Engineer Nagar Nigam Lucknow, about amount Rs. 25,32,71,000.00 and 17,20,71,000.00through his letter no. D/02/P.A/25 dated 02.04.2025 that after termination of contract of M/s Eco Green Pvt Ltd the company is currently operating its business from its registered address 228-236, 2nd Floor, Tower A, Spaze 1-Tech Park, Sector-49, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana E-mail-hrdlucknow@ ecogreenwte-com, website www-ecogreenwte-com. Contact +91-124-4410700. That it most respectfully submitted that since the registered

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
04-02-2026

address of the firm M/s Eco Green Pvt. Ltd is no longer within the jurisdictional limits of Lucknow, therefore the recovery proceedings could not be initiated. The recovery letters of Rs. 25,32,71,000.00 and Rs. 17,20,71,000.00 as received from the UPPCB have been returned by the Additional District Magistrate Lucknow vide his letter dated 02.04.2025 addressed to the Member Secretary UPPCB. A copy of letter dated 02.04.2025 submitted by the Environment Engineer Nagar Nigam Lucknow is annexed herewith and marked as **Annexure R-A 7.**

17. That in the interest of justice, the present additional reply affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this day of , 2026

DEPONENT

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Sign. ... Dt. 04-2-2026
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regd. 22368 Govt. of India

identify the deponent/Executant/Survey who has signed/put T.I. before me.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः – H37234 / GIS / MS-4 /2026, दिनांकः 29/01/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी

लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एच–14997/सी–5/एमएसडब्ल्यू–ए/ 24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0 14,40,70,000/– की वसूली भू–राजस्व की भाँति नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ महोदय से कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 36/सी0आर0ए0–एन0जी0टी0–वसूली/2026 दि0 05.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार/वैज्ञानिक विधि से निस्तारण न किए जाने के कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध रूपये 14,40,70,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भाँति किए जाने के संबंध में राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच–03050/सी–5/सामा–588/23 दिनांक 20.11.2023 प्रेषित किया गया था, जिसके उपरान्त आपके द्वारा वसूली की कार्यवाही अमल में लाते हुए आर0सी0 जारी की गयी थी।

उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप नगर निगम लखनऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया 14,40,70,000/– सहित उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रूपया 25,32,71,000/– एवं रूपया 17,20,71,000/– की वसूली भू–राजस्व की भाँति किए जाने हेतु बोर्ड का पत्र दिनांक 30.07.2024, 27.01.2025 एवं 02.04.2025 प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.01.2023 एवं 04.03.2023 द्वारा क्रमशः रूपया 25,32,71,000/– एवं रूपया 17,20,71,000/–की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मैसर्स ईकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध अधिरोपित की गयी थी। आपके पत्र दिनांक 02.04.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि क्योंकि मैसर्स ईकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0 की कोई चल–अचल सम्पत्ति एवं बैंक खाता लखनऊ में नहीं होने के कारण वसूली प्रमाण पत्र मूल रूप से वापस किया गया था।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–607/2024 News Item titled "In Lucknow's waste- side story plastic peril paints grim picture" appearing in the Hindustan Times dated 22-04-2024" में बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की अनुपालन आख्या दिनांक 10.12.2024 को मा0 अधिकरण में दाखिल की गयी है।

प्रश्नगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को नगर निगम लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट याचिका सी संख्या 7723/2025 म्यूनिसिपल कार्पोरेशन लखनऊ बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चुनौती दी गयी थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैं:–

"..3. The writ petition is, accordingly, dismissed, however, with liberty as far as permissible in law to peruse other statutory remedy such as appeal."

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त संबंध में कृपया सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अपने स्तर से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by Sanjeev Kumar Singh
Date: 29-01-2026 16:57:01

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 29-01-2026
17:19:05
प्रभारी वृत्त—5

NOTARY
GOVT. OF (INDIA)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या – 1137234 / CII S / MS-N 1/2026, दिनांक 29/01/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी

लखनऊ।

विषय – उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एच–14997 / सी–5 / एमएसडब्ल्यू–ए / 24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0 14,40,70,000 / – की वसूली भू–राजस्व की भाँति नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ महोदय से कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 36 / सी0आर0ए0–एन0जी0टी0–वसूली / 2026 दि0 05.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार / वैज्ञानिक विधि से निस्तारण न किए जाने के कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध रूपये 14,40,70,000 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भाँति किए जाने के संबंध में राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच–03050 / सी–5 / सामा–588 / 23 दिनांक 20.11.2023 प्रेषित किया गया था, जिसके उपरान्त आपके द्वारा वसूली की कार्यवाही अमल में लाते हुए आर0सी0 जारी की गयी थी।

उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप नगर निगम लखनऊ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया 14,40,70,000 / – सहित उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रूपया 25,32,71,000 / – एवं रूपया 17,20,71,000 / – की वसूली भू–राजस्व की भाँति किए जाने हेतु बोर्ड का पत्र दिनांक 30.07.2024, 27.01.2025 एवं 02.04.2025 प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.01.2023 एवं 04.03.2023 द्वारा क्रमशः रूपया 25,32,71,000 / – एवं रूपया 17,20,71,000 / –की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मैसर्स ईकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध अधिरोपित की गयी थी। आपके पत्र दिनांक 02.04.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि क्योंकि मैसर्स ईकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0 की कोई चल–अचल सम्पत्ति एवं बैंक खाता लखनऊ में नहीं होने के कारण वसूली प्रमाण पत्र मूल रूप से वापस किया गया था।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–607 / 2024 News Item titled "In Lucknow's waste- side story plastic peril paints grim picture" appearing in the Hindustan Times dated 22-04-2024" में बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की अनुपालन आख्या दिनांक 10.12.2024 को मा0 अधिकरण में दाखिल की गयी है।

प्रश्नगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को नगर निगम लखनऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट याचिका सी संख्या 7723 / 2025 म्यूनिसिपल कार्पोरेशन लखनऊ बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चुनौती दी गयी थी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैं:–

"..3. The writ petition is, accordingly, dismissed, however, with liberty as far as permissible in law to peruse other statutory remedy such as appeal."

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त संबंध में कृपया सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अपने स्तर से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Sanjeev Kumar Singh
Date: 29-01-2026
16:57:01

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

313
31/1/26

श्री प्रदीप मिश्रा ....

कृपया वसूली कर शीघ्र कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

तहसीलदार सदर
31 लखनऊ

सं0 203 दिनांक 31/1/26 वित्तीय वर्ष 25-26

तहसीलदार सदर को वसूली हेतु भू राजस्व बकाया की भाँति वसूली करने हेतु तदुपरान्त आख्या सहित मूल रूप में वापस करने हेतु प्रेषित

31/1/26

कृते कलेक्टर
लखनऊ

–2–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 29-01-2026
17:19:05
प्रभारी वृत्त–5

NOTARY
GOVT. OF (INDIA)

Annexure - 2

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	सेवा में, तहसीलदार, सदर, लखनऊ।
पत्र संख्या :–डी/926 /प0अ0/25	दिनांक :– 02 फरवरी 2026

विषयः– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एच–14997/सी–5/एम0एस0डब्लू0–ए/24 दिनांक 30.7.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0 14,40,70,000/– की वसूली भू–राजस्व की भांति नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ महोदय से कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय द्वारा निर्गत आर0सी0 प्रपत्र–36 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एच–14997/सी–5/एम0एस0डब्लू0–ए/24 दिनांक 30.7.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0 14,40,70,000/– को प्रोसेसिंग फीस सहित भू–राजस्व की भांति वसूली 15 दिवस के अदर किये जाने अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट किये जाने हेतु नोटिस/मांग प्रेषित की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है तत्प्रसंग पर पूर्व में नगर निगम द्वारा पत्र संख्या–डी/35/प0अ0/25 दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से समस्त विवरण सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भांति वसूली से मुक्त करते हुए सीधे इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से उक्त वसूली किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में नगर निगम लखनऊ द्वारा योजित रिव्यू पिटिशन संख्या–15/2023 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 के दृष्टिगत तथा ओ0ए0 संख्या–606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and Other Environment Issues में पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 के अनुपालन में पर्यावरण सुधार से सम्बन्धित कार्यों यथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट कार्यों हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर एक "रिंग फेन्स एकाउण्ट" खोलकर रू0 63.95 करोड़ धनराशि जमा की गयी है, जिसमें अधिरोपित क्षतिपूर्ति की उक्त धनराशि भी सम्मिलित है।

यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से नगर निगम लखनऊ को मुक्त किये जाने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) डायरी संख्या–72597/2025 दायर की गयी है।

अतः कृपया उपरोक्त स्थितियों एवं नगर निगम लखनऊ द्वारा नगर की स्वच्छता हेतु किये जा रहे गम्भीर प्रयासों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि नगर निगम लखनऊ को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि :–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

desktop/docket

कार्यालय तहसीलदार सदर लखनऊ

आर0सी0प्रपत्र–36

(देखे नियम 141(3)

नोटिस / मांग पत्र

सेवा मे,

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

आपके ऊपर भू0–राजस्व के रूप मे वसूली हेतु बकाया का विवरण निम्नानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि, इस नोटिस / माग पत्र की तामीला के **15 दिन** के अन्दर इस कार्यालय के **संग्रह अमीन श्री प्रदीप कुमार मिश्र** को भुगतान कर दे अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता–2006 के अधीन उत्पीडनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

देय धनराशि का विवरण–

धनराशि मु0– 14,40,70,000.00 + जोखिम फीस
मद का नाम– विविध देय
प्रेषित करने वाले विभाग का नाम– उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
जारी करने का दिनांक–02.2.2026
मोहर

तहसीलदार
सदर लखनऊ।

Annexure- 4

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	सेवा में, तहसीलदार, सदर, लखनऊ।
पत्र संख्या :–डी/35 /प0आ0/25	दिनांक :– 15 अप्रैल 2025

विषय:– जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूति की भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वीकीय कार्यालय पत्र दिनांक 28.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूति रू0 14,40,71,000.00 को प्रोसेसिंग फीस सहित भू–राजस्व के रूप में 15 दिवस में वसूल किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को नोटिस/मांग प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ नगर की सॉलिड वेस्ट परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में घर–घर से कूड़े के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण कार्य हेतु मै0 इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0 (वर्तमान में मै0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0) से दिनांक 21.03.2017 को त्रिपक्षीय अनुबन्ध सम्पादित किया गया था। परन्तु इकोग्रीन संस्था द्वारा अनुबन्ध के नियमों, शर्तो एवं निर्धारित दायित्वों को पूर्ण न किये जाने एवं पर्यावरण को नुकसान पहुचाने व सॉलिड वेस्ट नियमावली–2016 का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण दिनांक 06.07.2023 को इकोग्रीन संस्था को टर्मिनेट कर दिया गया।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा पूर्व में शिवरी स्थित प्लान्ट का निरीक्षण के समय प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन एवं पायी गयी अन्य कमियों का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक कुल 107 दिवस की अवधि हेतु रू0 14.4071 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। इकोग्रीन संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यों के प्रति लापरवाही व अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूति जमा न किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा संस्था का अनुबन्ध निरस्त करते हुए संस्था को काली सूची में डाल दिया गया है। साथ ही नगर निगम द्वारा इकोग्रीन संस्था को दिये गये टर्मिनेशन नोटिस में उपरोक्त छतियों के दृष्टिगत रू0 275.3434 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–G–33304/सी–5/ MSW–1/2020 दिनांक 27.07.2020 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 14.4071 करोड़ के सापेक्ष तत्समय नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा राज्य बोर्ड को प्रेषित पत्र संख्या–डी/45/न0आ0/प0अभि0/20 दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा किये गये उक्त निरीक्षण की अवधि में लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण रूप से मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था द्वारा किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सीधे मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से जमा कराये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 को सम्बोधित पत्र संख्या– H–55133/सी–5/ MSW–1/2020 दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से रू0 14.4071 करोड़ की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली मेसर्स इकोग्रीन इकाई से कराकर बोर्ड में जमा कराये जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया। बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय पेनाल्टी को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा मेसर्स इकोग्रीन संस्था को समय–समय पर अनेक पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः पत्र संख्या–डी/372/प0अ0/22 दिनांक 26.05.2022, डी/975/न0आ0/प0अ0/22 दिनांक 18.03.2023, डी/976/न0आ0/प0अ0/22 दिनांक 18.03.2023, डी/987/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 21.03.2023, डी/1003/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 24.03.2023, डी/751/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 28.11.2023 एवं डी/497/न0आ0/प0अ0/24 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा

संस्था को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को नगर निगम लखनऊ द्वारा संज्ञानित भी किया जाता रहा है। परन्तु इकोग्रीन संस्था द्वारा अभी तक उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा नहीं कराया गया है। मेसर्स इकोग्रीन संस्था के साथ टर्मिनेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत Amicable Resolution/Settlement किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वूसली हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा किये जा रहे गम्भीर प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को भू–राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त करते हुए सीधे इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था से उक्त वसूली किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि :–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

NOTARY GOVT. OF INDIA

desktop/docket

Annexure – 5

कार्यालय तहसीलदार सदर, लखनऊ

पत्रांक :– १९ / स0बा0बा0न0 / वसूली / 2025 **दिनांक–26.04.2025**

श्रीमान,

अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)

लखनऊ।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक H14997 / सी–5 / MSW–1 / 24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0 14,40,70,000.00 की वसूली भू–राजस्व की भाँति नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय से किये जाने विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि कार्यालय में दिनांक 27.03.2025 को प्राप्त वसूली प्रमाण पत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0–14,40,70,000.00 की वसूली कार्यवाही के अन्तर्गत दि0– 28.03.2025 को आर सी प्रपत्र 36 मांग पत्र तामील कराया गया।

नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ महोदय के कार्यालय में तामील मांग पत्र के क्रम में पर्यावरणीय अभियन्ता नगर निगम लखनऊ के पत्र संख्या डी / 35 / प0अ0 / 25 दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा पूर्व में शिवरी प्लांट के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों एवं कार्यो में लापरवाही के कारण नगर निगम लखनऊ द्वारा संस्था का अनुबन्ध निरस्त कर काली सूची में डाल दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय अभियंता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित पत्र संख्या डी / 45 / न0आ0 / प0अभि0 / 20 दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा किये गये उक्त निरीक्षण की अवधि में लखनऊ नगर के सालिड वेस्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण रूप से मेसर्स इको ग्रीन एनर्जी प्रा0लि0 संस्था द्वारा किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सीधे मेसर्स इको ग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0लि0 संस्था से जमा कराये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0लि0 को सम्बोधित पत्र संख्या H–55133 / सी–5 / MSW–1 / 2020 दिनांक 20.11.2020 में माध्यम से मु0 14,40,70,000.00 की अधिरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली मेंसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0लि0 से कराकर जमा कराये जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया।

उपरोक्तांनुसार पर्यावरणीय अभियन्ता नगर निगम लखनऊ द्वारा सीधे फर्म मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0लि0 से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली किये जाने एवं नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को भू–राजस्व की भाति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त किये जाने के क्रम में वसूली प्रमाण पत्र मूल रूप से सम्बन्धित विभाग को सम्प्रेषित किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक–पत्र संख्या डी / 35 / न0आ0 / प0अभि0 / 25 दिनांक 15.04.2025

तहसीलदार
सदर, लखनऊ

Re ... 26/4/2025

Annexure- 6

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पत्रांक 36/सी०आर०ए०-एन0जी0टी0-वसूली/2026 दिनांकः 05 जनवरी, 2026

विषयः- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक H14997/सी-5/MSW-1/24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु० 14,40,70,000.00 की वसूली भू-राजस्व की भाँति नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय से कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या- डी0/566/प0आ0 /2025 दिनांक 04 नवम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या डी0/35/प0आ0/प0अभि0/25 दिनांक 15.04.2025 के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या संख्या-369/ स0वा0बा0न0-वसूली/2025-26 दिनांक 05 जनवरी, 2026 द्वारा निम्नवत् विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है:-

"उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक H14997/सी-5/MSW-1/24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु० 14,40,70,000/- की वसूली भू-राजस्व की भाँति नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय से किये जाने विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपरोक्त पत्र के क्रम में प्राप्त वसूली प्रमाण पत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0-14,40,70,000/- की वसूली कार्यवाही के अन्तर्गत दि०- 28.03.2025 को आर सी प्रपत्र 36 मांग पत्र तामील कराया गया।

नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ महोदय के कार्यालय में तामील मांग पत्र के क्रम में पर्यावरणीय अभियन्ता नगर निगम लखनऊ के पत्र संख्या डी/35/प०अ०/25 दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) द्वारा पूर्व में शिवरी प्लांट के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों एवं कार्यों में लापरवाही के कारण नगर निगम लखनऊ द्वारा संस्था का अनुबन्ध निरस्त कर काली सूची में डाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय अभियंता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित पत्र संख्या डी/45/न०आ०/ प०अभि०/20 दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा किये गये उक्त निरीक्षण की अवधि में लखनऊ नगर के सालिड वेस्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण रूप से मेसर्स इको ग्रीन एनर्जी प्रा०लि० संस्था द्वारा किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सीधे मेसर्स इको ग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० संस्था से जमा कराये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० को सम्बोधित पत्र संख्या H-55133/सी-5/MSW-1/2020 दिनांक 20.11.2020 में माध्यम से मु० 14,40,70,000.00 की अधिरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० से कराकर जमा कराये जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया।

उपरोक्तानुसार पत्र संख्या- डी0/566/प0आ0/2025 दिनांक 04 नवम्बर, 2025 के क्रम में नगर निगम में अध्यारोपित समस्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० के कारण है, जिसके लिये मेसर्स इकोग्रीन से वसूली करने हेतु प्रकरण को आर्बिट्रेशन में नगर निगम की ओर से रखा जा रहा है, व पत्र संख्या- डी0/35/प0आ0/

प0अभि0/25 दिनांक 15.04.2025 में पर्यावरणीय अभियन्ता नगर निगम लखनऊ द्वारा सीधे फर्म मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली किये जाने एवं नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को भू–राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त करते हुए सीधे मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० से वसूली किये जाने का अनुरोध किया गया तदोपरान्त कार्यालय तहसीलदार सदर, लखनऊ के पत्र संख्या–19/स0वा0बा0न0/वसूली/2025 दिनांक 26.04.2025 द्वारा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0, लखनऊ महोदय को नगर निगम, लखनऊ के उपरोक्त पत्र के साथ वसूली प्रमाण पत्र मूलरूप से सम्बन्धित विभाग को सम्प्रेषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी थी। पुनः वसूली प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विभाग को अपने स्तर से सम्प्रेषित करने का कष्ट करें।"

अतः तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.01.2026 की प्रति मय संलग्नक सहित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
लखनऊ।

NOTARY
GOVT. OF (INDIA)

कार्यालय तहसीलदार सदर, लखनऊ

पत्रांक: 369 / रा०वा०बा०न०–वसूली / 2025-26 दिनांक: 05 जनवरी, 2026

विषय:– मानीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या–607 / 2024 News item titled "in lucknow's waste-side story plastic peril paints grim picture" apperaing in The hindustantimes dated 22.04.2024 में नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या: डी0 / 566 / प0आ0 / 2025 दिनांक 04 नवम्बर, 2025 के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0),
लखनऊ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर निगम, लखनऊ के प्रेषित पत्र संख्या– डी0 / 566 / प0आ0 / 2025 दिनांक 04 नवम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या डी0 / 35 / प0आ0 / प0अभि0 / 25 दिनांक 15.04.2025 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि–

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक H14997 / सी–5 / MSW–1 / 24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु० 14,40,70,000 / – की वसूली भू–राजस्व की भाँति नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय से किये जाने विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपरोक्त पत्र के क्रम में प्राप्त वसूली प्रमाण पत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मु0–14,40,70,000 / – की वसूली कार्यवाही के अन्तर्गत दि०– 28.03.2025 को आर सी प्रपत्र 36 मांग पत्र तामील कराया गया।

नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ महोदय के कार्यालय में तामील मांग पत्र के क्रम में पर्यावरणीय अभियन्ता नगर निगम लखनऊ के पत्र संख्या डी / 35 / प०अ० / 25 दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) द्वारा पूर्व में शिवरी प्लांट के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों एवं कार्यों में लापरवाही के कारण नगर निगम लखनऊ द्वारा संस्था का अनुबन्ध निरस्त कर काली सूची में डाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय अभियंता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित पत्र संख्या डी / 45 / न०आ० / प०अभि० / 20 दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से बोर्ड द्वारा किये गये उक्त निरीक्षण की अवधि में लखनऊ नगर के सालिड वेस्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण रूप से मेसर्स इको ग्रीन एनर्जी प्रा०लि० संस्था द्वारा किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को सीधे मेसर्स इको ग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० संस्था से जमा कराये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० को सम्बोधित पत्र संख्या H–55133 / सी–5 / MSW–1 / 2020 दिनांक 20.11.2020 में माध्यम से मु० 14,40,70,000.00 की अधिरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० से कराकर जमा कराये जाने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया।

उपरोक्तानुसार पत्र संख्या– डी0 / 566 / प0आ0 / 2025 दिनांक 04 नवम्बर, 2025 के क्रम में नगर निगम में अध्यारोपित समस्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० के कारण है, जिसके लिये मेसर्स इकोग्रीन से वसूली करने हेतु प्रकरण को आर्बिट्रेशन में नगर निगम की ओर से रखा जा रहा है, व पत्र संख्या– डी0 / 35 / प0आ0 / प0अभि0 / 25 दिनांक 15.04.2025 में पर्यावरणीय अभियन्ता नगर निगम लखनऊ द्वारा सीधे फर्म मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली किये जाने एवं नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को भू–राजस्व की भाति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली से मुक्त करते हुए सीधे मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा० लि० से वसूली किये जाने का अनुरोध किया गया तदोपरान्त कार्यालय तहसीलदार सदर, लखनऊ के पत्र संख्या–19 / रा0वा0बा0न0 / वसूली / 2025 दिनांक 26.04.2025 द्वारा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0, लखनऊ महोदय को नगर निगम, लखनऊ के उपरोक्त पत्र के साथ वसूली प्रमाण पत्र मूलरूप से सम्बन्धित विभाग को सम्प्रेषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी थी। पुनः वसूली प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विभाग को अपने स्तर से सम्प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–

01– डी0 / 566 / प0आ0 / 2025 दिनांक 04 नवम्बर, 2025

02– पत्र संख्या– डी0 / 35 / प0आ0 / प0अभि0 / 25 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में प्रेषित पूर्व आख्या।

03– पत्र संख्या–19 / रा0वा0बा0न0 / वसूली / 2025 दिनांक 26.04.2025

तहसीलदार
सदर, लखनऊ

NOTARY
GOVT. OF INDIA

Annexure No - 7

~~Annexure R-5~~

सेवा में,

जिलाधिकारी

लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

पत्रांक: 02/सी0आर0ए0-अधि0/2025 दिनांक अप्रैल 02, 2025

विषय:- जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 30.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बाकीदार उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ से क्रमशः रू014,40,70,000, रू025,32,71,000 तथा रू017,20,71,000 वसूल किये जाने हेतु वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 02 अप्रैल 2025 को संशोधित वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, जिसमें रू0 42,53,42,000 उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया। पत्र दिनांक 30.07.2024 के क्रम में उक्त वसूली प्रमाणपत्र तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ को बाकीदार फर्म से धनराशि वसूल करने हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार सरोजनी नगर, लखनऊ के द्वारा निम्नवत् विस्तृत आख्या दिनांक 02.04.2025 प्रेषित की गयी।

"उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि ग्राम शिवरी, मोहान रोड लखनऊ पर 56,94,12000/- छप्पन करोड़ चौरानबे लाख बारह हजार रूपये पर बकाया वसूली करने हेतु दिये गये पते ग्राम शिवरी मोहान रोड लखनऊ पर सम्मन/नोटिस/आर0सी0प्रपत्र-36 जारी किया गया। संग्रह अमीन के द्वारा दिये गये पते पर जाने पर जानकारी की गयी कम्पनी वर्तमान में उक्त पते पर संचालित नहीं है। ग्राम शिवरी के प्रधान द्वारा अपना बयान दिया गया जिसके अनुसार ग्राम शिवरी में कम्पनी संचालित नहीं है। कम्पनी की चल-अचल सम्पत्ति के बारे में क्षेत्रीय लेखपाल से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम शिवरी में मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0 के नाम खतौनी में भूमि अंकित नहीं है।

उक्त कम्पनी के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर लखनऊ को कार्यालय पत्र संख्या 60 दिनांक 28.03.2025 को जारी करके आख्या प्राप्त की गई। संग्रह अमीन तहसील सदर लखनऊ की आख्या दिनांक 28.03.2025 जो तहसीलदार सदर लखनऊ के द्वारा अग्रसारित है के अनुसार फर्म/कम्पनी उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि 515/516 डी0एल0एफ0 विभूती खण्ड गोमती नगर में संचालित नहीं है। उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ पत्रांक- 1472/एसटी0-एस0डी0एम0/2025 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा नगर आयुक्त महोदय नगर निगम लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 08-2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 प्रकरण में बाकीदार इकोग्रीन एनेर्जी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवरी मोहान रोड से वसूली में स्पष्ट पता एवं बैंक विवरण आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर पर्यावरण अभियन्ता नगर निगम लखनऊ के पत्र सं0 डी/01/5530/25 दिनांक 01 अप्रैल2025 के द्वारा प्रस्तुत

SUNIL KUMAR SRIVASTAVA Adv & NOTARY LUCKNOW GOVT. OF INDIA

आख्यानुसार इकोग्रीन संस्था दिनांक 06.07.2023 को अनुबन्ध निरस्त करते हुए संस्था को लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन कार्यों से पृथक कर दिया गया था। जिसके पश्चात संस्था द्वारा ओ०एल०एफ० विभूति खण्ड, गोमती नगर स्थित स्थानीय/क्षेत्रीय कार्यालय बन्द कर दिया गया था। वर्तमान में संस्था द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा स्थित पता 220-230, द्वितीय तल टावर-ए स्पेज आई-टेक पार्क, सेक्टर-49 सोहना रोड गुरुग्राम-122018, हरियाणा पत्राचार हेतु उपयोग किया जा रहा है। कम्पनी इकोग्रीन एनर्जी प्रा०लि० का बैंक खाता संख्या [illegible] आई.एफ.सी. कोड- एच.एस.बी.सी.0110005 ब्रांच का पता HSBC, JMD Regent Square, DLF Phase II, Guraon- Mehrauli Road, Gurgaon 122001 अंकित है। तथा पत्र सं० डी/02/प0310/25 दिनांक 02 अप्रैल.2025 के अनुसार कम्पनी इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा०लि० का खाता 000281400002958 आई.एफ.सी. कोड- YESB0000002 बैंक का नाम व बैंक शाखा- "......YES BANK LTD, Fortune Global Arcade, Sikanderpur, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon, 122002-----" है। तथा बाकीदार फर्म के नाम जनपद लखनऊ में कोई चल- अचल सम्पत्ति संज्ञानित नहीं है।

ग्राम प्रधान शिवरी के बयान व क्षेत्रीय संग्रह अमीन सरोजनी नगर, लखनऊ, संग्रह अमीन तहसील सदर, लखनऊ के अनुसार कम्पनी लखनऊ में संचालित नहीं है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम में कम्पनी के नाम भूमि अंकित न होने तथा कम्पनी का खाता में अंकित पता गुड़गांव का होने के कारण वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 30.07.2024 एवं 02.04.2025 में अंकित धनराशि वसूल नहीं हो सकती।"

ज्ञातव्य हो कि आपके पत्रों के कम में तहसीलदार सदर द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के विरुद्ध 14,40,71,000 रुपये का वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 28.03.2025 को जारी कर दिया गया है। तहसीलदार सरोजनी नगर, लखनऊ की आख्या के अनुसार उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि. ग्राम शिंवरी, मोहान रोड, लखनऊ का रजिस्टर्ड पता लखनऊ का न होने तथा पर्यावरण अभियंता नगर निगम लखनऊ की आख्यानुसार संस्था के नाम जनपद लखनऊ में कोई चल-अचल सम्पत्ति न होने के कारण वसूली प्रमाणपत्र पर इस स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कृपया वसूली हेतु संबंधित जनपद को निर्देशित करने का कष्ट करें। उद्योग मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि. ग्राम शिंवरी, मोहान रोड, लखनऊ से संबंधित वसूली प्रमाणपत्र मूल रूप से वापस।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
लखनऊ।

NOTARY
SUNIL KUMAR SRIVASTAVA
Adv. & NOTARY
LUCKNOW
GOVT. OF U. P. LUCKNOW INDIA

प्रतिलिपि--

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
लखनऊ।

Annexure R-4

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।	सेवा में, उप जिलाधिकारी, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।
पत्र संख्या :–डी/ 02 /प0ओ0/26	दिनांक :– 02 अप्रैल, 2025

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 08-2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० प्रकरण में बकायेदार इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवरी मोहान रोड से वसूली में स्पष्ट पता एवं बैंक विवरण आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वीकीय कार्यालय पत्र संख्या–1472/ST-SDM/2025 दिनांक 29.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ग्राम शिवरी मोहान रोड, लखनऊ पर कुल रू0 56,94,12,000.00 का बकाया वसूल किये जाने हेतु जारी आर0सी0 प्रपत्र–36 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड संस्था का रजिस्टर्ड पता एवं बैंक खातो का विवरण सहित संस्था की संज्ञानित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा दिनांक 06.07.2023 को इकोग्रीन संस्था का अनुबन्ध निरस्त करते हुए लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन कार्यों से पृथक कर दिया गया था। जिसके पश्चात संस्था द्वारा डी0एल0एफ0, विभूति खण्ड, गोमती नगर स्थित स्थानीय/क्षेत्रीय कार्यालय बन्द कर दिया गया था। वर्तमान में संस्था द्वारा गुरुग्राम, हरयाणा स्थित निम्नवत रजिस्टर्ड कार्यालय का पत्राचार हेतु उपयोग किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

Registered Address : 228-236, 2[nd] Floor, Tower A,
Spaze I-Tech Park, Sector-49,
Sohna Road, Gurugram -122018, Hariyana.
E-mail : hrdlucknow@ecogreenwte.com
Website : www.ecogreenwte.com
Phone : +91-124-4410700
CIN : U40106HR 2017PTC068191

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम लखनऊ के पर्यावरण अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार "इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड" संस्था की किसी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। "इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड" को भुगतान हेतु उपयोग किये गये बैंक खाते का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	खाता धारक का नाम	बैंक का नाम व ब्रांच का पता	खाता संख्या	IFSC कोड
1	ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PRIVATE LIMITED	HSBC JMD Regent Square, DLF Phase II, Gurgaon-Mehrauli Road, Gurgaon 122001	054668256001	HSBC0110005
2	ECOGREEN ENERGY LUCKNOW PVT LTD	YES BANK LTD., Fortune Global Arcade, Sikanderpur, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon 122002	000281400002958	YESB0000002

अतः कृपया उपरोक्त सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि :–

1. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

पर्यावरण अभियन्ता
नगर निगम लखनऊ

NOTARY GOVT. OF INDIA